

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6340(अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के उप-नियम 6.2 के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6.2 प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातिक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त निः शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातिक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।

नोट : निर्यातिक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, में सं. का.आ. 2078 दिनांक 04 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना का.आ. 1443 (ई) दिनांक 19 दिसम्बर, 2003, का.आ. 721 दिनांक 25 फरवरी, 2005, तथा का.आ. 1516 दिनांक 16 जून, 2008 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6340(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Egg Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely: -

1. (1) These rules shall be called the Export of Egg Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, for sub- rule 6.2, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"6.2. A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note. - The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 2078 dated the 4th August 1997, subsequently amended vide Notification S.O. 1443 (E) the 19th December 2003, S.O. 721 dated the 25th February 2005 and S.O. 1516 dated the 16th June 2008.